DAINIK BHASKAR, Delhi, 24.8.2025
Page No. 5, Size:(16.85)cms X (18.00)cms.

गड्ढे में 3 नाबालिगों के डूबने का मामला, मानव अधिकार आयोग ने लिया संज्ञान

डीसी व एसपी किए तलब , दो सप्ताह के अंदर मांगी रिपोर्ट

भास्कर न्यूज | पलवल

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने सराय गांव में तीन बच्चियों के ईंट भट्टे के गड्ढे में डूबने से हुई मौत के मामले में डीसी व एसपी को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जबाब मांगा हैं। दरसल, नेशनल हाईवे पर स्थित सराय गांव के निकट बने एक ईंट भट्टे पर संचालकों द्वारा खोदे गए गहरे गड्ढों को खुला छोड़ दिया। जिनमें बरसात का पानी भर गया। जिसमें 6 अगस्त को गांव निवासी शाहिद की बेटी अंशिफा 7 वर्ष अपनी छोटी बहन सोफिया 5 वर्ष के अलावा अपनी चचेरी बहन अलिफ़या 6 वर्ष के साथ अपनी बकरियों को चराने के लिए गांव के बाहर खेतों में गई हुई थी। जंहा ईंट भट्टे पर गड्ढे में भरे बारिश के पानी मे नहाने के दौरान तीनों बहनों की मौत हो गई।

इस मामले में अधिकारियों द्वारा भट्ठा संचालकों को खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।थाना पुलिस ने मामले में 194 भारतीय न्याय संहिता की कार्यवाही कर मामले को रफा दफा कर दिया।इस मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने संज्ञान लेते हुए इस घटना को मानव अधिकार उल्लंघन करार दिया हैं। आयोग ने इस घटना पर कार्यवाही करते हुए जिला मजिस्ट्रेट(डीसी) सहित एसपी पलवल को नोटिस जारी कर मामले में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए हैं।

आयोग ने इस प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि यह मामला बेहद गंभीर है जहां तीन नाबालिक बेटियों की मौत ।इस मामले में पुलिस प्रशासन ने हादसे के जिम्मेदारलोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही के अलावा मृतकों के परिजनों को मुआवजे के रूप में आर्थिक सहायता की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।

इस संबंध मे डीसी डॉ. हरिश कुमार वशिष्ठ ने अधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए आदेश जारी किए है, लेकिन इस मामले में खनन विभाग के अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं अमल में नहीं लाई।

PUNJAB KESARI, Delhi, 24.8.2025
Page No. 4, Size:(5.11)cms X (4.63)cms.

दिल्ली की हलचल

'दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना सीखें'

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने अपनी दूसरी ऑनलाइन शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप का आयोजन किया। इसके समापन अवसर पर एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन ने अपने संबोधन में इस बात पर जोर दिया कि सच्ची सामाजिक प्रगति इस बात में निहित है कि व्यक्ति दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना सीखें। उन्होंने प्रशिक्षुओं से आग्रह किया कि वे आत्म-सुधार के लिए आजीवन सीखने के लिए प्रतिबद्ध रहें। इससे उनका अनुभव व ज्ञान बढ़ेगा। इस दो सप्ताह की इंटर्नशिप में 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न विश्वविद्यालयों के 72 छात्रों ने मानवाधिकारों के विभिन्न पहलुओं से जुड़े गहन अनुभव प्राप्त किए। छात्रों ने अपनी शंकाएं भी एनएचआरसी अध्यक्ष के साथ साझा की।

Sun, 24 August 2025
https://mpaper.punjabkesari.com/c/780

PIONEER, Bhubaneswar, 24.8.2025
Page No. 3, Size:(17.89)cms X (24.87)cms.

NHRC issues show-cause to Chief Secy

On no compensation yet to mason who drowned in drain in Cuttack

PNS ■ Bhubaneswar

The National Human Rights Commission (NHRC) has issued notice to the Government of Odisha through the Chief Secretary to show cause within six weeks as to why a compensation of Rs 7 lakh will not be paid to the next kin of a deceased mason who died falling in an open drain under CMC area while working. The notice was served under Section 18 of the protection of Human Rights Act, 1993.

The commission passed the order acting on a petition filed by Kendrapada-based rights defender, Sagar Jena.

The complainant alleged that the 46-year-old mason drowned after falling into an open drain in Mahima Nagar area under CRRI police limits in Cuttack on April 3, 2024. The complainant and the Deputy Executive Engineer of Cuttack Municipal Corporation were present in the NHRC camp court organised at Bhubaneswar on July 22.

The only reply that the commission received from the Cuttack Municipal Corporation is that they have closed all the open drains. But the authority did not mince a word on compensation to the NoK of the ill-fated mason.

DECCAN HERALD, Bengaluru, 24.8.2025
Page No. 9, Size:(3.86)cms X (14.10)cms.

NHRC seeks report on Jalgaon mob lynching

MUMBAI, DHNS: More than a week after a 21-year-old Muslim youth was abducted, assaulted and murdered by a mob as he was seen talking to a girl from another community in Jalgaon, the National Human Rights Commission (NHRC) has sought a report from Maharashtra's Chief Secretary (CS) and Director General of Police (DGP) within two weeks.

The incident took place on August 11. The youth was identified as Suleiman Rahimkhan Pathan, a resident of Betawad Khurd village at Jamner in Jalgaon district..

Suleiman had recently passed the 12th standard and was preparing to join the police service.

On the day of the attack, he had traveled to Jamner to submit his police application.

While he was in a cafe with the girl, a mob dragged him out and assaulted him. Later, he was taken to his village and thrashed.

The youth suffered multiple injuries and was rushed to the Jalgaon District Hospital, where he was pronounced dead on admission.

DAINIK JAGRAN, Ranchi, 24.8.2025
Page No. 9, Size:(8.15)cms X (8.60)cms.

बिना स्वजन पुलिस ने किया अंतिम संस्कार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान

राज्य ब्यूरो, जागरण ● रांची : झारखंड के गिरिडीह के एक व्यक्ति की ट्रेन में मौत के बाद स्वजन का इंतजार किए बगैर शव का आगरा में अंतिम संस्कार किए जाने के मामले में छपी एक मीडिया रिपोर्ट पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इसे मानवाधिकार का हनन बताते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव व डीजीपी को नोटिस भेजा है और दो सप्ताह के भीतर इस मामले में रिपोर्ट तलब की है। मामला उत्तर प्रदेश के आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन का है। इस मामले में रेल थाना आगरा फोर्ट की पुलिस पर बिना स्वजन के अंतिम संस्कार करने का आरोप लगा है। हालांकि, रेल थाना आगरा का दावा है कि मृतक के आश्रित को सूचना के बाद भी वे मौके पर नहीं पहुंचे थे। मृतक के परिवार के सदस्यों ने शुरू में तो शव को पहचानने से इन्कार किया था और बाद में यात्रा की व्यवस्था व भुगतान का वादा करने के बावजूद मौके पर नहीं पहुंचे।

गिरिडीह का था मृतक, आगरा की रेल पुलिस पर है आरोप, आयोग ने यूपी के मुख्य सचिव व डीजीपी को नोटिस भेजा

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मीडिया रिपोर्ट के जिन तथ्यों पर संज्ञान लिया है, उसके अनुसार पुलिस को अंतिम संस्कार से पूर्व स्वजन का इंतजार करना चाहिए था। गिरिडीह से शव लेने के लिए स्वजन एक दिन में आगरा नहीं पहुंच सकते थे। उनके पास पैसा भी नहीं था, इसके बावजूद दो लोगों ने आगरा जाने की कोशिश की, लेकिन धनबाद में ट्रेन बदलते समय रास्ता भटक गए और वापस घर लौट गए। स्वजन अंतिम संस्कार के बाद आगरा पहुंचे तो मृतक का पुतला बनाकर अंतिम संस्कार किया।

राजकीय रेल थाना (जीआरपी) आगरा फोर्ट की पुलिस ने पांच अगस्त को अजमेर-सियालदह एक्सप्रेस ट्रेन के जेनरल डब्बे से एक मृत व्यक्ति का शव बरामद किया था। शव अज्ञात था। उसके पास से एक पर्चा मिला था, जिसके आधार पर शव की पहचान की कोशिश की गई। स्वजन को उसका फोटो भेजा गया, लेकिन किसी ने शव की पहचान नहीं की। इसके बाद अज्ञात शव के रूप में उसका पोस्टमार्टम कराया गया। 72 घंटे तक शव रखने की बाध्यता है, उसके बाद अंतिम संस्कार करना होता है। इसके बावजूद जीआरपी फोर्ट आगरा की पुलिस ने चार दिन बाद नौ अगस्त को शव का अंतिम संस्कार किया। स्वजन 15 अगस्त को आगरा पहुंचे और फिर फोटो से उसकी पहचान की, तब तक शव का अंतिम संस्कार हो चुका था। पुलिस को मिली पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में उसकी मृत्यु का कारण फेफड़े की बीमारी बताया गया है।

मृतक के स्वजन ने जीआरपी फोर्ट थाना आगरा में फोटो से शव की पहचान की। उसके अनुसार मृतक का नाम सीताराम उर्फ पाली यादव था। उसकी उम्र करीब 40 वर्ष थी।

DAINIK BHASKAR, Hissar, 24.8.2025
Page No. 4, Size:(13.67)cms X (16.35)cms.

मानवाधिकार आयोग ने मांगी रिपोर्ट

3 बच्चियों के गड्ढे में डूबने पर डीसी और एसपी तलब

भास्कर न्यूज | पलवल

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने पलवल के सराय में ईंट भट्टे पर बने गड्ढे में डूबने से हुई 3 बच्चियों की मौत के मामले में संज्ञान लिया है। आयोग ने डीसी और एसपी को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जबाब मांगा है।

दरअसल, नेशनल हाईवे पर स्थित सराय गांव के निकट भट्टा संचालकों ने गड्ढों को खुला छोड़ दिया था। 6 अगस्त को शाहिद की बेटी अंशिफा (7), उसकी छोटी बहन सोफिया (5) व चचेरी बहन अलिफ़या (6) बकरियां चराने खेतों में गई थी। यहां गड्ढे में भरे बारिश के पानी में नहाने के दौरान तीनों बहनों की मौत हो गई। मामले में अधिकारियों ने भट्ठा संचालकों पर कोई कार्रवाई नहीं की। थाना पुलिस ने भी मामला रफा-दफा कर दिया। मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने संज्ञान लेते हुए घटना को मानव अधिकार उल्लंघन करार दिया है। आयोग ने जिला मजिस्ट्रेट(डीसी) समेत एसपी पलवल को नोटिस जारी कर मामले में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने मामले में पुलिस प्रशासन व जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई के अलावा मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। वहीं, डीसी डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने अधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए आदेश जारी किए हैं, लेकिन खनन विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं की।

DAINIK BHASKAR, Bhopal, 24.8.2025
Page No. 6, Size:(9.95)cms X (14.04)cms.

सागर कलेक्टर और एसपी को मानवाधिकार आयोग ने बताया घोर लापरवाह

भोपाल। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सागर कलेक्टर और एसपी को घोर लापरवाह बताया है। आयोग ने मुख्य सचिव को लिखी एक चिट्ठी में इसका जिक्र किया। साथ ही सागर कलेक्टर संदीप जीआर को इस मामले में जिम्मेदार मानते हुए सीएस को कलेक्टर के विरुद्ध डीओपीटी (डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग) में शिकायत कर कार्रवाई के लिए पत्र लिखने को कहा है। यह सख्त चिट्ठी आयोग ने सागर के बारदा के मानस शुक्ला के मामले में लिखी है। मामला 1 जनवरी का है, जब एक क्रशर के पास से गुजरते हुए 14 साल का मानस गंभीर रूप से झुलस गया था। घटना के बाद बीना अस्पताल के चिकित्सकों ने थाने को सूचना दी थी, लेकिन पुलिस और प्रशासन के अफसरों ने एफआईआर दर्ज नहीं की। जिस क्रशर के पास यह हादसा हुआ, वह पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के भतीजे लखन सिंह ठाकुर का है।

Deccan Chronicle

NHRC Seeks Report On Tirupati Mayor Poll Violence

https://www.deccanchronicle.com/southern-states/andhra-pradesh/nhrc-seeks-report-on-tirupati-mayor-poll-violence-1899347

DC Correspondent 24 August 2025 12:34 AM

Gurumurthy alleged that miscreants attacked his bus carrying party corporators, smashing windows, assaulting the driver, and deflating tyres in the presence of police.

Nellore:The National Human Rights Commission (NHRC) has sought a detailed report from the Andhra Pradesh DGP on the violence that erupted during the Tirupati deputy mayor election on February 3, acting on a complaint filed by MP M. Gurumurthy. Gurumurthy alleged that miscreants attacked his bus carrying party corporators, smashing windows, assaulting the driver, and deflating tyres in the presence of police. He claimed several accused were not named in the FIR, raising doubts over the investigation.

The NHRC, which has reviewed his complaint, media reports and High Court directions, has directed the DGP to submit a status report within six weeks. Earlier, the DGP reported that 133 police personnel, CCTV cameras and drones were deployed, yet the attack occurred just 400 metres from the polling station, forcing postponement. Elections were later held under heavy police security on February 4. The Commission is also examining allegations that over 17 accused were shielded during the probe. Gurumurthy termed the incident as political vendetta, abuse of power and an attack on democracy.

(Source : Deccan Chronicle)

India Education Diary

NHRC, India takes suo motu cognizance of the reported denial of medical treatment to an ailing girl at a government-run hospital in Lucknow, Uttar Pradesh

https://indiaeducationdiary.in/nhrc-india-takes-suo-motu-cognizance-of-the-reported-denial-of-medical-treatment-to-an-ailing-girl-at-a-government-run-hospital-in-lucknow-uttar-pradesh/

By iednewsdesk | August 23, 2025

The National Human Rights Commission (NHRC), India has taken suo motu cognizance of a media report that in Lucknow, Uttar Pradesh, the parents of an ailing girl were forced to rush her to a private hospital after the doctors at a government-run hospital did not provide her any treatment despite repeated requests for two hours. Reportedly, when her condition deteriorated, the father carried her on his motorcycle to a private hospital as the government hospital did not even provide an ambulance.

The Commission has observed that the contents of the news report, if true, raise serious issues of violation of human rights. Therefore, it has issued notices to the Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, calling for a detailed report on the matter within two weeks, including the health status of the ailing girl.

According to the media report, carried on 14th August, 2025, the aggrieved family had travelled all the way from their village in the Sitapur district to the government-run Ramsagar Mishra Hundred-Bed Combined Hospital in the BakshiKaTalaab (BKT) area of Lucknow for the medical treatment of the girl suffering from jaundice.

Janta Se Rishta

एनएचआरसी ने सरकारी अस्पताल में लड़की का इलाज करने से मना करने पर लिया स्वतः संज्ञान

https://jantaserishta.com/others/nhrc-took-suo-motu-cognizance-of-refusal-to-treat-girl-in-government-hospital-4226046

jantaserishta.com23 Aug 2025 8:42 AM

नई दिल्ली: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित एक सरकारी अस्पताल में एक बीमार लड़की का इलाज करने से मना करने की खबर पर स्वतः संज्ञान लिया। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के अंदर मामले पर विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए कहा। एनएचआरसी ने एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है, जिसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बीमार लड़की के माता-पिता को उसे एक निजी अस्पताल में ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने दो घंटे तक बार-बार अनुरोध करने के बावजूद बीमार लड़की का इलाज नहीं किया। बताया गया कि जब लड़की की हालत ज्यादा बिगड़ने लगी तो उसके पिता उसे अपनी बाइक से एक निजी अस्पताल ले गए, क्योंकि सरकारी अस्पताल ने उसे एम्बुलेंस तक उपलब्ध नहीं करवाई।

आयोग ने अवलोकन किया कि अगर यह खबर सही है तो यह मानव अधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मामला है। इसलिए आयोग ने इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के अंदर बीमार लड़की की स्वास्थ्य स्थिति सहित विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए कहा है। उल्लेखनीय है कि 14 अगस्त को प्रकाशित एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ित परिवार सितापुर जिले में अपने गांव से लखनऊ के बक्शी का तालाब (बीकेटी) क्षेत्र में स्थित सरकारी रामसागर मिश्रा सौ-शय्या संयुक्त अस्पताल में पीलिया से पीड़ित लड़की का इलाज कराने के लिए पहुंचे थे।

CG Sandesh

बार-बार अनुरोध के बाद भी सरकारी अस्पताल में नहीं किया गया बीमार लड़की का इलाज... एनएचआरसी ने लिया संज्ञान

https://cgsandesh.com/Home/NewsDetails/104491

त्रिवेन्द्र जगत | नई दिल्ली | 23-Aug-2025

बच्ची की हालत ज्यादा खराब होने पर उसके पिता उसे निजी अस्पताल ले गए आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के अंदर मामले पर विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए कहा

रिपोर्ट में उम्मीद है कि बीमार लड़की की स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी शामिल की जाएगी

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है, जिसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बीमार लड़की के माता-पिता को उसे एक निजी अस्पताल में ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने दो घंटे तक बार-बार अनुरोध करने के बावजूद बीमार लड़की का इलाज नहीं किया। बताया गया कि जब लड़की की हालत ज्यादा बिगड़ने लगी तो उसके पिता उसे अपनी मोटरसाइकिल से एक निजी अस्पताल ले गए क्योंकि सरकारी अस्पताल ने उसे एम्बुलेंस तक उपलब्ध नहीं करवाया।

आयोग ने अवलोकन किया कि अगर यह खबर सही है तो यह मानव अधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मामला है। इसलिए आयोग ने इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के अंदर बीमार लड़की की स्वास्थ्य स्थिति सहित विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए कहा है।

उल्लेखनीय है कि 14 अगस्त 2025 को प्रकाशित एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ित परिवार सितापुर जिले में अपने गांव से लखनऊ के बक्शी का तालाब (बीकेटी) क्षेत्र में स्थित सरकारी रामसागर मिश्रा सौ-शय्या संयुक्त अस्पताल में पीलिया से पीड़ित लड़की का इलाज कराने के लिए पहुंचे थे।

India Education Diary

NHRC takes suo motu cognizance the reported death of five persons while cleaning sewage tanks in Gautam Budh Nagar and Sitapur districts of Uttar Pradesh

https://indiaeducationdiary.in/nhrc-takes-suo-motu-cognizance-the-reported-death-of-five-persons-while-cleaning-sewage-tanks-in-gautam-budh-nagar-and-sitapur-districts-of-uttar-pradesh/

By iednewsdesk | August 23, 2025

The National Human Rights Commission (NHRC), India has taken suo motu cognizance of media reports about the death of five persons while cleaning sewage tanks in two separate incidents in the Gautam Budh Nagar and Sitapur districts of Uttar Pradesh. Reportedly, two of them died while cleaning the sewage tank at a pumping station of the NOIDA authority on 16th August, 2025. The three others died while cleaning a septic tank at a residence in Suketha village on 17th August, 2025.

The Commission has observed that the contents of the news reports, if true, raise serious issues of violation of human rights. Therefore, the Commission has issued notices to the Chairman, NOIDA Authority and the Commissioner of Police, Gautam Budh Nagar in the matter related to the incident in NOIDA, and to the District Magistrate and the Superintendent of Police on the Sitapur incident, calling for detailed reports within two weeks.

The reports are expected to include the status of the investigation of the cases as well as compensation, if any, paid to the NoK of the deceased persons. The status of medical treatment being provided to the injured boy in the Sitapur incident has also been sought.

According to the media reports, the family members of the victims in the NOIDA incident have alleged that they were not provided any safety equipment by the contractor, although the authorities maintained that the workers were provided with safety equipment.

Reportedly, in the Sitapur incident, a 10-year-old boy was sent into the septic tank to retrieve a stuck polythene bag. However, when he began to suffocate, the owner of the residence pulled the child out and instead attempted himself to remove the polythene but lost consciousness. In order to rescue him, his two neighbours entered into the tank one after the other, but they also succumbed to the toxic fumes.

Ndtv.in

यूपी के बलरामपुर में दिव्यांग से हुए गैंगरेप पर NHRC ने लिया स्वतः संज्ञान, DGP से मांगी रिपोर्ट

यूपी के बलरामपुर जिले में देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के बहादुरपुर पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर एक 22 वर्षीय दिव्यांग युवती के साथ दुष्कर्म की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी.

https://ndtv.in/uttar-pradesh-news/nhrc-took-suo-motu-cognizance-of-the-gangrape-of-a-disabled-person-in-balrampur-up-9143523

Reported by:हिमांशु शेखर मिश्रा

Edited by:तिलकराज

उत्तर प्रदेश | अगस्त 23, 2025 09:18 am IST | Published Onअगस्त 23, 2025 09:18 am IST

नई दिल्ली:

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में 11 अगस्त की रात को दो युवकों द्वारा सड़क पर पीछा करके एक मूक-बधिर महिला के साथ कथित सामूहिक बलात्कार की घटना का स्वतः संज्ञान लिया है. एनएचआरसी ने इस गंभीर मामले पर चिंता जताते हुए उत्तर प्रदेश के डीजीपी और बलरामपुर के जिला मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.

बीते सोमवार को बलरामपुर जिले में देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के बहादुरपुर पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर एक 22 वर्षीय दिव्यांग युवती के साथ दुष्कर्म की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी. चूंकि युवती बोल नहीं सकती, वह मदद के लिए शोर नहीं मचा सकी और आरोपी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए थे. इस अपराध में शामिल दोनों अपराधियों को यूपी पुलिस ने 24 घंटे के अंदर एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस ने 14 सेकंड के CCTV वीडियो की मदद से आरोपियों की पहचान की.

एनएचआरसी ने इस मामले को लेकर गुरुवार को आधिकारिक बयान जारी कर कहा, 'राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है, जिसमें बताया गया है कि 11 अगस्त, 2025 को उत्तर प्रदेश के बलरामपुर ज़िले में एक मूक-बधिर महिला का दो लोगों ने सड़क पर पीछा करके सामूहिक बलात्कार किया. बताया जा रहा है कि यह घटना उस समय हुई, जब पीड़िता अपने मामा से मिलकर वापस आ रही थी.

आयोग ने पाया है कि यदि समाचार रिपोर्ट सत्य है, तो यह पीड़िता के मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा है. इसलिए, आयोग ने राज्य के पुलिस महानिदेशक और जिला मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.' रिपोर्ट में जांच की स्थिति और पीड़ित को दिए गए मुआवजे का विवरण भी शामिल होने की उम्मीद है.

Navbharat Times

आगरा में लावारिस लाश और झारखंड में पुतले की चिता, `शिनाख्त' की इस कहानी ने NHRC को भी झकझोर दिया

https://navbharattimes.indiatimes.com/state/uttar-pradesh/agra/unclaimed-deadbody-in-agra-effigy-funeral-in-jharkhand-painful-story-of-giridih-man-nhrc-notice-to-up-government/articleshow/123467638.cms

Reported by: Sudeep Lavania•Edited by: अजयेंद्र राजन शुक्ला | टाइम्स न्यूज नेटवर्क•23 Aug 2025, 1:48 pm

झारखंड के गिरिडीह के सीताराम यादव की आगरा में हुई मौत के बाद, जीआरपी द्वारा अंतिम संस्कार कर दिया गया, जबकि उनका गरीब परिवार पहुँचने का प्रयास कर रहा था। परिवार के पास यात्रा के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे, जिसके कारण वे समय पर नहीं पहुँच सके।

आगरा: झारखंड के गिरिडीह जिले में एक छोटा सा गांव है। वहां एक चिता जल रही थी। चौंकाने वाली बात ये थी कि चिता पर पुतला रखा था। जिस आदमी के लिए शोक मनाया जा रहा था, वो नहीं था। उसकी पत्नी और रिश्तेदारों ने मिलकर बांस और पुआल से एक पुतला बनाया। उनके कपड़े पहनाए। फिर, उन्होंने उस पुतले को जलाया। वे ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि वे सीताराम यादव को अंतिम विदाई नहीं दे पाए थे। ये ऐसी दर्दनाक कहानी है, जिस पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस भेज दिया और दो सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है।

इस मामले की खबर TOI ने 15 अगस्त को छापी थी। 5 अगस्त को 49 वर्षीय सीताराम यादव आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पर मृत पाए गए थे। वह 12988 अजमेर-सियालदह सुपरफास्ट एक्सप्रेस के एक जनरल डिब्बे में थे। ट्रेन मैनेजर ने जीआरपी को इसकी सूचना दी। जीआरपी एक डॉक्टर के साथ आई। डॉक्टर ने सीताराम को मृत घोषित कर दिया। उनकी कपड़ों में एक पर्ची मिली, जिस पर एक फोन नंबर लिखा था। लेकिन, जब उस नंबर पर संपर्क किया गया तो वह व्यक्ति तस्वीरों से उनकी पहचान नहीं कर सका। पुलिस ने उनकी बॉडी को 'अज्ञात' के रूप में दर्ज किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।जीआरपी, आगरा फोर्ट के एसएचओ जितेंद्र सिंह ने बताया, "हमने परिवार के किसी सदस्य के आने और 72 घंटों के भीतर बॉडी लेने के लिए यात्रा का खर्च देने की पेशकश की थी। लेकिन, कोई नहीं आया। इसलिए, नियमों के अनुसार, हमने उनका अंतिम संस्कार कर दिया।"

बाद में, सीताराम यादव के परिवार को एहसास हुआ कि फोटो में दिख रहा आदमी वही है। उन्होंने उनके टैटू से उनकी पहचान की। उनके भतीजे राजेंद्र यादव ने बताया, "जब मैंने पहली बार तस्वीर देखी, तो मैं पुष्टि नहीं कर सका। बाद में, उनकी पत्नी और भाई ने उनकी पहचान की, तब मैंने पुलिस को बताया। दो रिश्तेदार आगरा के लिए निकले भी थे लेकिन धनबाद में ट्रेन बदलते समय भटक गए। उनके पास दूसरी यात्रा के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वे घर लौट आए।"

अब सीताराम की पत्नी सुमति देवी के पास एक प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उनकी शादी को 15 साल से ज्यादा हो गए थे, लेकिन वे पिछले 8-9 सालों से अलग रह रहे थे। उन्होंने बताया, "वह बहुत शराब पीते थे और सामान्य पारिवारिक जीवन नहीं जीते थे। वह आखिरी बार दो

साल पहले अपने घर आए थे।" उनकी मौत की खबर सुनकर, वह अपने तीन बच्चों के साथ अपने ससुराल लौट आई। उन्होंने बताया, "हमने पुतला बनाया, उनके कपड़े पहनाए और 7 अगस्त को अपने अड्डूवाडीह गांव के सामुदायिक श्मशान घाट में अंतिम संस्कार किया। हम 12 दिनों के बाद राख को विसर्जित करेंगे।"

अब इस मामले का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान ले लिया है। आयोग ने कहा कि झारखंड के गिरिडीह के एक व्यक्ति की डेडबॉडी का आगरा में जीआरपी ने अंतिम संस्कार कर दिया, जबकि उस व्यक्ति का गरीब परिवार अंतिम संस्कार के लिए आगरा पहुंचने की कोशिश ही करता रह गया। परिवार के पास आगरा आने के लिए पर्याप्त समय और पैसे नहीं थे इसलिए वे लोग समय पर नहीं पहुंच पाए।

एनएचआरसी ने "मृतकों के अधिकारों की रक्षा और उनकी गरिमा बनाए रखने" के लिए 2021 में जारी अपनी एडवाइजरी का हवाला दिया। आयोग ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद-21 के अनुसार मिलने वाला जीवन, उचित व्यवहार और सम्मान का अधिकार सिर्फ जीवित लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि मृतकों के लिए भी है। एनएचआरसी ने कहा, "आयोग ने पाया है कि खबरों में जो बातें कही गई हैं, अगर वे सच हैं, तो यह मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है।"

सीताराम यादव की पत्नी, सुमति यादव ने फोन पर कहा, "मैं एनएचआरसी के इस मामले पर ध्यान देने के फैसले का स्वागत करती हूं। मैं आयोग से यह भी अनुरोध करती हूं कि सरकार को मुझे मुआवजा देने का निर्देश दे। मेरे तीन बच्चे हैं, जिनमें से दो लड़कियां हैं। मैं उनकी शिक्षा और शादी का इंतजाम कैसे करूंगी? हम एक जर्जर घर में रहते हैं, और छत से बारिश का पानी टपकता है। हमें अधिकारियों से मदद की जरूरत है।"

Jagran

बिना स्वजन के पुलिस ने कर दिया शव का अंतिम संस्कार, यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस

झारखंड के गिरिडीह के एक व्यक्ति की ट्रेन में मौत के बाद स्वजन का इंतजार किए बगैर शव का आगरा में अंतिम संस्कार किए जाने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वत संज्ञान लिया है। आयोग ने इसे मानवाधिकार का हनन बताते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव व डीजीपी को नोटिस भेजा है और दो सप्ताह के भीतर इस मामले में रिपोर्ट तलब की है।

https://www.jagran.com/jharkhand/ranchi-police-cremated-dead-body-without-any-relatives-notice-to-up-chief-secretary-and-dgp-24022855.html

By Dilip Kumar Edited By: Kanchan Singh Updated: Sat, 23 Aug 2025 07:23 PM (IST)

HighLights

आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव व डीजीपी को नोटिस भेज दो सप्ताह में मांगी रिपो

झारखंड के गिरिडीह का रहने वाला था मृतक, आगरा की रेल पुलिस पर है आरोप

राज्य ब्यूरो, रांची। Jharkhand के गिरिडीह के एक व्यक्ति की ट्रेन में मौत के बाद स्वजन का इंतजार किए बगैर शव का आगरा में अंतिम संस्कार किए जाने के मामले में छपी एक मीडिया रिपोर्ट पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वत: संज्ञान लिया है।

आयोग ने इसे मानवाधिकार का हनन बताते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव व डीजीपी को नोटिस भेजा है और दो सप्ताह के भीतर इस मामले में रिपोर्ट तलब की है।

मामला उत्तर प्रदेश के आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन का है। इस मामले में रेल थाना आगरा फोर्ट की पुलिस पर बिना स्वजन के अंतिम संस्कार करने का आरोप लगा है।

हालांकि, रेल थाना आगरा का दावा है कि मृतक के आश्रित को सूचना दी गई थी। लेकिन वे मौके पर नहीं पहुंचे थे। मृतक के परिवार के सदस्यों ने शुरू में तो शव को पहचानने से इंकार किया था। बाद में यात्रा की व्यवस्था तथा भुगतान का वादा करने के बावजूद वे मौके पर नहीं पहुंचे।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मीडिया रिपोर्ट के जिन तथ्यों पर संज्ञान लिया है, उसके अनुसार पुलिस को अंतिम संस्कार से पूर्व स्वजन का इंतजार करना चाहिए था।

झारखंड के गिरिडीह से शव लेने के लिए स्वजन एक दिन में आगरा नहीं पहुंच सकते थे। उनके पास पैसा भी नहीं था, इसके बावजूद दो लोगों ने आगरा जाने की कोशिश की।

लेकिन धनबाद में ट्रेन बदलते समय रास्ता भटक गए और वापस घर लौट आए। स्वजन अंतिम संस्कार के बाद आगरा पहुंचे तो मृतक का पुतला बनाकर अंतिम संस्कार किया। आयोग का कहना है कि यह मानवाधिकार का हनन है।

जीआरपी आगरा फोर्ट की पुलिस ने जो बताया

राजकीय रेल थाना (जीआरपी) आगरा फोर्ट की पुलिस ने पांच अगस्त को अजमेर-सियालदह एक्सप्रेस ट्रेन के जेनरल डब्बे से एक मृत व्यक्ति का शव बरामद किया था। शव अज्ञात था।

उसके पास से एक पर्चा मिला था, जिसके आधार पर शव की पहचान की कोशिश की गई। स्वजन को उसका फोटो भेजा गया, लेकिन किसी ने शव की पहचान नहीं की।

इसके बाद अज्ञात शव के रूप में उसका पोस्टमार्टम कराया गया। 72 घंटे तक शव रखने की बाध्यता है, उसके बाद अंतिम संस्कार करना होता है।

इसके बावजूद जीआरपी फोर्ट आगरा की पुलिस ने चार दिन बाद नौ अगस्त को शव का अंतिम संस्कार किया। परिजन 15 अगस्त को आगरा पहुंचे और फिर फोटो से उसकी पहचान की।

तब तक शव का अंतिम संस्कार हो चुका था। पुलिस को मिली पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में उसकी मृत्यु का कारण फेफड़े की बीमारी बताया गया है।

मृतक सीताराम दो साल से स्वजनों के संपर्क में नहीं था

मृतक के स्वजनों ने जीआरपी फोर्ट थाना आगरा में फोटो से शव की पहचान की। उसके अनुसार मृतक का नाम सीताराम उर्फ पाली यादव था। उसकी उम्र करीब 40 वर्ष थी। वह मूल रूप से झारखंड के गिरिडीह के जमुआ थाना क्षेत्र स्थित अदुआडीह गांव का रहने वाला था।

स्वजन ने जीआरपी को बताया कि सीताराम उर्फ पाली यादव दो साल से परिजन के संपर्क में नहीं था। वह शराब पीने का आदी था। उसकी इसी आदत के चलते नौ साल पहले उसकी पत्नी बच्चों के साथ मायके चली गई थी। आशंका है कि अत्याधिक शराब पीने के चलते ही उसकी मौत हुई है।

Medical Dialogues

NHRC issues notice to UP Govt over patient's death at Kanpur Medical College

https://medicaldialogues.in/news/health/hospital-diagnostics/nhrc-issues-notice-to-up-govt-over-patients-death-at-kanpur-medical-college-153843

22 August 2025

National Human Rights Commission

New Delhi: Taking suo motu cognisance of a media report highlighting the death of a patient due to a lack of proper treatment at Kanpur Dehat Medical College, the National Human Rights Commission (NHRC) has issued notices to the Chief Secretary and the Director General of Police, Uttar Pradesh, seeking a detailed report within two weeks.

The media report stated that a 25-year-old patient died allegedly due to mismanagement by the hospital and police personnel, as well as a lack of proper treatment at the medical college, as he was left unattended.

It has been alleged that the doctor on duty had referred the unconscious patient to Lala Lajpat Rai Hospital in Kanpur, but the police escort arrived 6-7 hours late, during which the patient had died. The body reportedly remained in the ward for several hours until it began to decompose, forcing other patients to leave, after which it was shifted to the mortuary.

Medical Dialogues had earlier reported that a 25-year-old patient referred from Dehat Medical College to Kanpur's LLR Hospital passed away after allegedly waiting for hours without proper transfer arrangements. Even after his death, his body remained on a bed in the emergency ward for nearly 11 hours, raising serious concerns over hospital protocols and accountability.

The incident occurred on August 9, when the critically ill patient was brought to the hospital by two individuals who left immediately after admitting him. At that time, he was unconscious.

Reportedly, the doctor on duty referred him to another hospital, but since he had nobody to accompany him, the message was sent to the local police station to provide a guard to go with him. The police escort did not reach the hospital for about 6-7 hours, and the patient died during this period.

According to the media report, published on August 11, police claimed that a guard was sent to the hospital to escort the patient, but he could not be taken to the referral facility due to the non-availability of an ambulance, while hospital authorities reportedly maintained that an ambulance was available.

In a press release, the Commission observed that if the contents of the news report are true, the matter raises serious concerns of human rights violations. It has, therefore, issued notices to the Chief Secretary and the Director General of Police, Uttar Pradesh, calling for a detailed report within two weeks.

Established under the Protection of Human Rights Act, 1993, the NHRC, an autonomous statutory body, is an embodiment of India's concern for the promotion and protection of human rights. The apex human rights body has the power to take suo motu (on its own motion) action based on media reports, public knowledge or other sources, without receiving a formal complaint of human rights violations.

India Education Diary

NHRC takes suo motu cognizance of the reported death of a man after severe beating in public by a group of people in Jalgaon district, Maharashtra

https://indiaeducationdiary.in/nhrc-takes-suo-motu-cognizance-of-the-reported-death-of-a-man-after-severe-beating-in-public-by-a-group-of-people-in-jalgaon-district-maharashtra/

By iednewsdesk | August 23, 2025

The National Human Rights Commission (NHRC), India has taken suo motu cognizance of a media report that a 21-year-old man died after severe beating in public by a group of people in a village in Jalgaon district, Maharashtra on 11th August, 2025. Reportedly, the victim was sitting at a cafe with a girl belonging to a different community when a group of 8-10 men confronted him and after seeing a photograph in his mobile phone, started assaulting him. The perpetrators dragged the man to his village and continued to beat him while parading through the streets before leaving him near his house severely injured.

The Commission has observed that the contents of the news report, if true, raise serious issues of violation of human rights. Therefore, it has issued notices to the Chief Secretary and the Director General of Police, Maharashtra, calling for a detailed report on the matter within two weeks. The report is expected to include the status of the investigation, as well as compensation, if any, paid to the next of kin of the victim.

According to the media report, carried on 13th August, 2025, the family members of the victim were also assaulted when they tried to save him. Reportedly, the severely injured victim was rushed to the hospital where the doctors declared him dead on arrival.

Vartha Bharthi

NHRC notice to Maha govt, DGP over death of man beaten up in public in Jalgaon

https://english.varthabharati.in/india/nhrc-notice-to-maha-govt-dgp-over-death-of-man-beaten-up-in-public-in-jalgaon

Vartha Bharati | 23-08-2025 | 13:30:00 IST

New Delhi (PTI): The National Human Rights Commission on Friday said it has issued notices to the Maharashtra government and the state's police chief over reports that a 21-year-old man died after being allegedly beaten up in public by a group of people in a village in Jalgaon district.

Reportedly, the victim was sitting at a cafe with a young female person belonging to a different community when a group of 8-10 men confronted him, and after seeing a photograph in his mobile phone, "started assaulting him", the National Human Rights Commission said in a statement.

The perpetrators allegedly dragged the man to his village and continued to beat him up while parading through the streets, before leaving him near his house severely injured, it said.

The NHRC has taken "suo motu cognisance of a media report that a 21-year-old man died after severe beating in public by a group of people in a village in Jalgaon district, Maharashtra, on August 11".

The commission has observed that the content of the news report, if true, raises serious issues of violation of human rights.

Therefore, it has issued notices to the chief secretary and the director general of police of Maharashtra, seeking a detailed report in two weeks. The report is expected to include the status of the investigation as well as compensation, if any, paid to the next of kin of the victim, the statement said.

According to the media report published on August 13, the family members of the victim were also allegedly assaulted when they tried to save him. Reportedly, the severely injured victim was rushed to a hospital where the doctors "declared him dead on arrival", it said.

In another statement, the NHRC said it has taken suo motu cognisance of a "reported cremation of a man's body" by Government Railway Police (GRP) personnel in Agra, Uttar Pradesh, after family members allegedly "failed to turn up" from Giridih in Jharkhand.

The GRP has claimed that the family "refused" to identify the body and receive it, while the family members have maintained that they "could not reach" Agra from Giridih in just a day's time to receive his body, the rights panel said.

Later, the family performed the last rites with his effigy, the statement said.

The commission has issued notices to the chief secretary and the director general of police of Uttar Pradesh, seeking a detailed report on the matter within two weeks.

Issuing the notices, the commission referred to its 2021 advisory for protecting the rights of the dead by upholding their dignity. It emphasised that the right to life, fair treatment and dignity, derived from Article 21 of the Constitution of India, extends not only to living persons but also to their dead bodies.

According to the media report carried on August 14, the family claimed that the police called and informed about the death and "gave one day to collect the body before it was sent for post-mortem and cremated locally", it said.

"But they did not have enough money to go there. Still, two men tried to go to Agra, but lost their way while changing trains at Dhanbad and came back. The family of the deceased is reportedly asking as to why the body of the deceased could not be sent to Jharkhand," the NHRC said.

Reportedly, the GRP claimed that the force had asked someone in the family to come down to identify the body, and even had promised to arrange and pay for their return travel to Agra, but "they declined", it said.

In a separate statement, the NHRC said it has taken suo motu cognisance of a media report that in Lucknow, parents of an ailing girl were allegedly forced to rush her to a private hospital after the doctors at a government-run hospital "did not provide" her any treatment, despite repeated requests for two hours.

Reportedly, when her condition deteriorated, the father carried her on his motorcycle to a private hospital as the government hospital did not even provide an ambulance, it said.

The commission has issued a notice to the chief secretary of Uttar Pradesh, seeking a detailed report in two weeks, including the health status of the ailing girl.

According to the media report carried on August 14, the aggrieved family had travelled all the way from their village in Sitapur district to the government-run Ramsagar Mishra 100-Bed Combined Hospital in Bakshi Ka Talaab area of Lucknow for the medical treatment of the girl suffering from jaundice, it said.

Prabhasakshi

महाराष्ट्र के जलगांव में सरेआम पीटे गए व्यक्ति की मौत पर एनएचआरसी ने स्वत: संज्ञान लिया

https://www.prabhasakshi.com/national/nhrc-takes-suo-motu-cognizance-of-death-of-man-who-beaten-up-in-public-in-jalgaon-maharashtra

प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क । Aug 23 2025 9:27AM

बयान के अनुसार, आयोग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने शुक्रवार को उन रिपोर्ट के बाद महाराष्ट्र सरकार और राज्य पुलिस प्रमुख को नोटिस जारी किया, जिनमें कहा गया है कि जलगांव जिले के एक गांव में 21 वर्षीय एक युवक की कथित तौर पर सार्वजनिक रूप से पिटाई के बाद मृत्यु हो गई।

आयोग ने एक बयान में कहा कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ित एक कैफे में एक युवती के साथ बैठा था जो अलग समुदाय से थी, तभी 8-10 लोगों के एक समूह ने उसे घेर लिया और उसके मोबाइल फोन में एक तस्वीर देखकर उसकी पिटाई शुरू कर दी।

रिपोर्ट में कहा गया कि फिर आरोपियों ने युवक को उसके गांव की सड़कों पर घुमाया और फिर उसे बुरी से पिटने के बाद घायल अवस्था में उसके घर के पास छोड़ दिया। आयोग ने इस मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया और नोटिस जारी किया है।

बयान के अनुसार, आयोग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Odisha Diary

NHRC, India takes suo motu cognizance of the reported denial of medical treatment to an ailing girl at a government-run hospital in Lucknow, Uttar Pradesh

https://orissadiary.com/nhrc-india-takes-suo-motu-cognizance-of-the-reported-denial-of-medical-treatment-to-an-ailing-girl-at-a-government-run-hospital-in-lucknow-uttar-pradesh/

By:Odisha Diary Bureau | Date: August 23, 2025

The National Human Rights Commission (NHRC), India has taken suo motu cognizance of a media report that in Lucknow, Uttar Pradesh, the parents of an ailing girl were forced to rush her to a private hospital after the doctors at a government-run hospital did not provide her any treatment despite repeated requests for two hours. Reportedly, when her condition deteriorated, the father carried her on his motorcycle to a private hospital as the government hospital did not even provide an ambulance.

The Commission has observed that the contents of the news report, if true, raise serious issues of violation of human rights. Therefore, it has issued notices to the Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, calling for a detailed report on the matter within two weeks, including the health status of the ailing girl.

According to the media report, carried on 14th August, 2025, the aggrieved family had travelled all the way from their village in the Sitapur district to the government-run Ramsagar Mishra Hundred-Bed Combined Hospital in the BakshiKaTalaab (BKT) area of Lucknow for the medical treatment of the girl suffering from jaundice.

Bhaskar English

Human Rights Commission indicts Sagar officials for negligence:14-year-old lost hand in electrocution, ex-minister's kin shielded, no FIR filed, ₹10 lakh relief sought

Bhopal44 minutes ago

Minor's hand had to be amputated due to electrocution at crusher. Collector-SP accused of not taking action.

The National Human Rights Commission (NHRC) has pulled up Sagar Collector Sandeep GR and the Superintendent of Police for gross negligence in the illegal crusher accident at Barda village. A 14-year-old boy, Manas Shukla, suffered severe burns and later lost his hand after coming in contact with exposed high-tension wires on January 1, 2025. Despite the incident being reported to police by doctors, no FIR was filed.

Action sought against ex-minister's kin, ₹10 lakh relief for victim's family The crusher belongs to former minister Bhupendra Singh's nephew Lakhan Singh Thakur, with allegations that Bhupendra shielded him from action. NHRC has asked the Chief Secretary to explain why Manas's family should not be given ₹10 lakh compensation and directed that a complaint be filed with DoPT against the Collector for his failure.

On January 1, 2025, a 14-year-old child Manas Shukla was seriously burned.

Former Minister Drew Power Line for Illegal Mining The Commission said that Manas's father Rakesh Shukla complained that this power line was drawn for illegal mining being done by MLA and former minister Bhupendra Singh Thakur and his nephew Lakhan Singh Thakur.

No action was taken even after this information. Rakesh and his family members were threatened that if they complained more, an FIR would be filed. They were also given death threats.

After its investigation, the Human Rights Commission said that in this case, the police and administration delayed for five months and did not register an FIR. The government should explain why FIR was not registered in this matter?

Why not give 10 lakh compensation, argument not acceptable The notice sent on August 9 also stated why not give compensation of 10 lakh to Manas Shukla's family.

The DGP has been directed to file an FIR regarding the case. It has been said that the government should respond in this matter by August 23, otherwise action will be taken.

The Commission said that Bhupendra tried to influence the proceedings by sending letters with false allegations.

MLA Bhupendra Singh sent letters with false allegations The Commission has termed the entire sequence of events as a case of abuse of power and betrayal of public trust.

The Commission has also pointed out that Khurai MLA Bhupendra Singh tried to influence the Commission's proceedings by sending letters containing false allegations.

The Commission has also stated in the notice that in the Commission's view, the argument by the Collector and Superintendent of Police Sagar that the complainant did not submit any complaint is untenable.

Filing an FIR in this case is also necessary so that the child can receive financial assistance from the concerned department.

About 3 months ago, Deputy Leader of Opposition Hemant Katare during a press conference with victim child Manas Shukla and Congress leader Anshul Parihar.

No record of action against crusher owner The Commission considered the Collector's negligence to be the most serious in this entire matter and said why not write to DoPT for action against such Collector.

The Commission has said that the Madhya Pradesh government should explain why it should not recommend to the Department of Personnel and Training (DoPT) and Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Government of India to take action against the Sagar Collector, as they did not take necessary action according to law.

The Commission also stated in the notice-

There is no record of any statutory punitive action against the crusher owner in the case. This is a serious lapse in administrative and police responsibilities. No official inspection of the incident site was done on the same day, which could have helped assess the causes, preserve evidence and take steps to prevent such incidents from happening again.

Lalluram

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मुख्य सचिव को भेजा नोटिसः पूर्व मंत्री के भतीजे मामले में कार्रवाई नहीं करने का आरोप

https://lalluram.com/mp-news-national-human-rights-commission-sent-notice-to-chief-secretary-case-of-not-taking-action-in-former/

Satyanarayan Shukla | 23 Aug 2025, 04:36 PM

मध्यप्रदेश

शिखिल ब्यौहार, भोपाल। मध्यप्रदेश के सागर जिले में अवैध खनन से मासूम को करंट लगने के मामले में मुख्य सचिव को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने नोटिस जारी किया है। मुख्य सचिव को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

पांच महीने तक टालमटोल FIR ही दर्ज नहीं

दरअसल सागर के 14 साल के मानस शुक्ला को करंट लगने के मामले में नोटिस जारी हुआ है। हाई-टेंशन बिजली के तार से मानस को करंट लगने से उसे एक हाथ गंवाना पड़ा। परिजनों का आरोप है कि विधायक भूपेंद्र सिंह ठाकुर और उनके भांजे लखन सिंह ठाकुर द्वारा खनन किया जा रहा था। घटना के बाद भी FIR दर्ज नहीं करने पर पुलिस और प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। शिकायकर्ता को झूठे केस में फंसाने और जान से मारने की कोशिश और धमकी देने का भी आरोप है। आयोग की जांच में खुलासा हुआ पुलिस और प्रशासन ने पांच महीने तक टालमटोल किया, FIR ही दर्ज नहीं हुई।

मामला सत्ता के दुरुपयोग और भरोसे से खिलवाड़ का

मानवा अधिकार आयोग ने सरकार से पूछा, FIR दर्ज करने और कार्रवाई रोकने की वजह बताएं। आयोग ने पूछा मानस शुक्ला के परिवार को 10 लाख का मुआवज़ा क्यों न दिया जाए। 23 अगस्त तक सरकार से जवाब तलब वरना सख़्त कार्रवाई की चेतवानी दी गई है। आयोग ने कहा यह मामला सत्ता के दुरुपयोग और जनता के भरोसे से खिलवाड़ का है। आयोग ने यह भी ध्यानाकर्षित किया है कि खुरई के विधायक भूपेंद्र सिंह ने झूठे आरोपों वाले पत्र भेज कर आयोग की कार्यवाही को प्रभावित करने का प्रयास किया।

DGP को FIR दर्ज करेने के निर्देश

आयोग ने नोटिस में कहा- आयोग के विचार में कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक, सागर द्वारा यह दलील कि शिकायतकर्ता ने कोई शिकायत प्रस्तुत नहीं की, असमर्थनीय है। इस मामले में FIR का पंजीयन इसलिए भी आवश्यक है ताकि बालक संबंधित विभाग से आर्थिक सहायता प्राप्त कर सके। क्रशर मालिक के खिलाफ किसी वैधानिक दंडात्मक कार्रवाई का कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है। यह प्रशासनिक एवं पुलिसीय दायित्वों में गंभीर चूक है।

कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा

घटना स्थल का कोई आधिकारिक निरीक्षण उसी दिन नहीं किया गया, जिससे कारणों का आकलन, साक्ष्यों का संरक्षण और दोबारा ऐसी घटना रोकने के लिये कदम उठाए जा सकते थे। आयोग ने कहा है कि मध्यप्रदेश शासन कारण बताए कि आखिर वह क्यों न भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) और लोक शिकायत एंव पेंशन मंत्रालय को यह अनुशंसा करे कि सागर कलेक्टर पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने कानून के अनुसार जरूरी कार्रवाई नहीं की है।

Dainik Bhaskar

मानवाधिकार आयोग ने कहा- सागर कलेक्टर और SP घोर लापरवाह:CS को लिखी चिट्ठी; पूर्व मंत्री के भतीजे के क्रशर प्लांट में करंट से झुलसा था बच्चा

https://www.bhaskar.com/local/mp/bhopal/news/will-write-a-letter-to-dopt-for-action-against-sagar-collector-135743378.html

भोपाल 49 मिनट पहले

सागर के बारदा में अवैध क्रशर से करंट लगने के मामले में पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह और उनके भांजे लखन सिंह ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने को लेकर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) ने सागर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को फटकार लगाई है।

आयोग ने मुख्य सचिव अनुराग जैन को चिट्ठी लिखी है। जिसमें कहा है कि इस घटना में करंट लगने से हाथ कटवाने को मजबूर हुए मानस शुक्ल के परिजनों को 10 लाख रुपए की सहायता क्यों न दी जाए?

आयोग ने सागर कलेक्टर संदीप जीआर को इस मामले में जिम्मेदार मानते हुए उनके विरुद्ध डीओपीटी (डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग) में कम्प्लेंट कर कार्रवाई के लिए पत्र लिखने को कहा है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने इस पूरे मामले में सागर कलेक्टर और एसपी दोनों को ही घोर लापरवाह बताते हुए नाराजगी जताई है।

मुख्य सचिव जैन को भेजे नोटिस में कहा है कि सागर जिले के बीना थाना क्षेत्र के बारदा गांव में क्रशर के लिए खींची गई हाईटेंशन बिजली लाइन में तार खुले छोड़कर रखे थे।

जिसके पास से गुजरते समय 1 जनवरी 2025 को 14 साल का बच्चा मानस शुक्ला का गंभीर रूप से झुलस गया था और बेहोश भी हुआ था। घटना के बाद बीना अस्पताल के चिकित्सकों ने थाने को सूचना भी दी थी लेकिन पुलिस और प्रशासन के अफसरों ने FIR दर्ज नहीं की। जिस क्रशर में मानस शुक्ला झुलसा था, वह भूपेंद्र सिंह के भतीजे लखन सिंह ठाकुर का है। मानस के परिजनों ने इस मामले में भूपेंद्र सिंह पर लखन को संरक्षण देने का आरोप लगाया है।

अवैध खनन के लिए पूर्व मंत्री ने खींची लाइन आयोग ने कहा है कि मानस के पिता राकेश शुक्ला ने शिकायत की है कि विधायक और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ठाकुर और उनके भांजे लखन सिंह ठाकुर द्वारा किए जा रहे अवैध खनन के लिए यह बिजली लाइन खींची गई थी।

जिसकी जानकारी के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। राकेश और उसके परिजनों को धमकाया गया कि ज्यादा शिकायत की तो FIR करा देंगे। जान से मारने की धमकी भी दी गई।

मानव अधिकार आयोग ने अपनी जांच के बाद कहा है कि इस केस में पुलिस और प्रशासन ने पांच महीने तक टालमटोल किया और FIR दर्ज नहीं की। सरकार यह बताए कि आखिर इस मामले में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई?

10 लाख मुआवजा क्यों न दें, दलील मानने योग्य नहीं 9 अगस्त को भेजे गए नोटिस में यह भी कहा है कि मानस शुक्ला के परिवार को 10 लाख का मुआवजा क्यों न दिया जाए।

मामले को लेकर डीजीपी को FIR कराने के लिए निर्देशित किया है। कहा है कि 23 अगस्त तक सरकार इस मामले में जवाब दें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।

विधायक भूपेंद्र सिंह ने झूठे आरोपों वाले पत्र भेजे आयोग ने पूरे घटनाक्रम को सत्ता के दुरुपयोग और जनता के भरोसे से खिलवाड़ का वाला मामला बताया है।

आयोग ने यह भी ध्यानाकर्षित किया है कि खुरई के विधायक भूपेंद्र सिंह ने झूठे आरोपों वाले पत्र भेज कर आयोग की कार्यवाही को प्रभावित करने का प्रयास किया है।

आयोग ने नोटिस में यह भी कहा है कि आयोग के विचार में कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक सागर द्वारा यह दलील कि शिकायत कर्ता ने कोई शिकायत प्रस्तुत नहीं की, असमर्थनीय है।

इस मामले में FIR दर्ज होना इसलिए भी आवश्यक है ताकि बालक संबंधित विभाग से आर्थिक सहायता प्राप्त कर सके।

करीब 3 महीने पहले पीड़ित बच्चे मानस शुक्ला और कांग्रेस नेता अंशुल परिहार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे।

क्रशर मालिक के विरुद्ध कार्रवाई का रिकार्ड नहीं आयोग ने इस पूरे मामले में सबसे अधिक लापरवाही कलेक्टर की मानी है और कहा है कि ऐसे कलेक्टर के विरुद्ध कार्यवाही के लिए डीओपीटी को क्यों न लिखा जाए।

आयोग ने कहा है कि मध्यप्रदेश शासन कारण बताए कि आखिर वह क्यों न भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) और लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय को यह अनुशंसा करे कि सागर कलेक्टर पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने कानून के अनुसार जरूरी कार्रवाई नहीं की।

आयोग ने नोटिस में यह भी कहा-

मामले में क्रशर मालिक के खिलाफ किसी वैधानिक दंडात्मक कार्रवाई का कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है। यह प्रशासनिक एवं पुलिसीय दायित्वों में गंभीर चूक है। घटना स्थल का कोई आधिकारिक निरीक्षण उसी दिन नहीं किया, जिससे कारणों का आकलन, साक्ष्यों का संरक्षण और दोबारा ऐसी घटना रोकने के लिए कदम उठाए जा सकते थे।

Patrika

एमपी में सीएस को नोटिस, पूर्व मंत्री के मामले में कार्रवाई नहीं करने पर कलेक्टर पर भी लटकी तलवार

MP CS- एमपी में मुख्य सचिव- सीएस को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

https://www.patrika.com/bhopal-news/notice-to-cs-in-mp-ex-minister-bhupendra-singh-case-19887996

भोपाल | deepak deewan | Aug 23, 2025

MP CS- एमपी में मुख्य सचिव- सीएस को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सागर जिले में अवैध खनन से एक बच्चे को करंट लगने के मामले में यह नोटिस जारी किया गया है। परिजनों ने प्रदेश के पूर्व मंत्री व विधायक भूपेंद्र सिंह ठाकुर और उनके रिश्तेदार लखन सिंह ठाकुर पर अवैध खनन का आरोप लगाया था। मामले में शिकायत के बाद भी FIR दर्ज नहीं की गई। आयोग ने केस की जांच की तो पता चला कि पुलिस और प्रशासन पांच माह तक टालमटोल करते रहे पर केस दर्ज नहीं किया। इसपर आयोग ने गुस्सा जताते हुए सीएस से जवाब तलब किया है। मामले में सागर कलेक्टर की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए गए हैं।

सागर के 14 साल के मानस शुक्ला को हाई-टेंशन बिजली के तार से करंट लगा जिससे उसे एक हाथ गंवाना पड़ा। परिजनों ने आरोप लगाया कि पूर्व मंत्री व बीजेपी विधायक भूपेंद्र सिंह ठाकुर और उनके रिश्तेदार लखन सिंह ठाकुर द्वारा खनन किया जा रहा था। शिकायत के बाद भी FIR दर्ज नहीं की गई। इस बीच शिकायकर्ता को झूठे केस में फंसाने और जान से मारने की कोशिश और धमकी देने की भी बात सामने आई।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की जांच में पुलिस और प्रशासन की टालमटोल सामने आ गई। 5 माह तक FIR दर्ज नहीं किए जाने पर आयोग ने सख्त टिप्पणी करते हुए इसे सत्ता के दुरुपयोग और भरोसे से खिलवाड़ का केस बताया। आयोग ने सरकार से FIR दर्ज नहीं करने और कार्रवाई रोकने की वजह भी पूछी है। मामले में सरकार से 23 अगस्त तक जवाब मांगा गया है।

Amar Ujala

MP News: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सीएस अनुराग जैन को भेजा नोटिस, पूर्व मंत्री से जुड़ा है मामला

https://www.amarujala.com/madhya-pradesh/bhopal/mp-news-nhrc-sent-notice-to-cs-in-crusher-accident-case-of-former-minister-bhupendra-singh-s-nephew-sought-r-2025-08-23

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Sat, 23 Aug 2025 09:32 PM IST

सार

भोपाल

सागर जिले के बारदा गांव में अवैध क्रशर प्लांट हादसे में 14 वर्षीय बालक के हाथ गंवाने की घटना पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने मध्यप्रदेश सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया है। आयोग ने मामले में कार्रवाई न करने पर सागर कलेक्टर और एसपी को घोर लापरवाह करार देते हुए मुख्य सचिव अनुराग जैन को नोटिस जारी किया है।

विस्तार

सागर जिले के बारदा गांव में अवैध क्रशर प्लांट में करंट लगने से 14 वर्षीय बच्चे के गंभीर रूप से झुलसने और हाथ कटवाने की नौबत आने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने राज्य शासन को कठघरे में खड़ा किया है। आयोग ने घटना पर कार्रवाई न करने पर सागर कलेक्टर संदीप जीआर और एसपी को घोर लापरवाह बताते हुए नाराजगी जताई है और मुख्य सचिव अनुराग जैन को नोटिस जारी किया है। इसमें 23 अगस्त तक जवाब मांगा है। हालांकि यह पत्र अब सार्वजनिक हुआ हैं।

बच्चे को करंट लगने से गंवाना पड़ा हाथ

1 जनवरी 2025 को बीना थाना क्षेत्र के बारदा गांव में क्रशर प्लांट के पास हाईटेंशन लाइन खुले तारों के साथ छोड़ दी गई थी। उसी दौरान 14 वर्षीय मानस शुक्ला इसकी चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया और उसे अपना हाथ गंवाना पड़ा। परिजनों का आरोप है कि क्रशर प्लांट पूर्व मंत्री और खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह ठाकुर और उनके भांजे लखन सिंह ठाकुर का है और यह अवैध खनन के लिए संचालित किया जा रहा था।

FIR दर्ज नहीं करने पर आयोग की सख्ती

मानवाधिकार आयोग ने कहा कि घटना की जानकारी होने के बावजूद पुलिस और प्रशासन ने पांच माह तक टालमटोल किया और FIR दर्ज नहीं की। यह प्रशासनिक और पुलिसीय दायित्वों की गंभीर चूक है। आयोग ने डीजीपी को FIR कराने के निर्देश दिए हैं और राज्य सरकार से पूछा है कि मानस शुक्ला के परिजनों को 10 लाख रुपये की सहायता राशि क्यों न दी जाए।

कलेक्टर और एसपी पर कार्रवाई की अनुशंसा

आयोग ने इस मामले में सागर कलेक्टर की भूमिका को सबसे अधिक लापरवाही भरी मानते हुए कहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) को पत्र क्यों न लिखा जाए। आयोग ने यह भी कहा कि घटना स्थल का तत्काल निरीक्षण नहीं किया गया, जिससे साक्ष्यों का संरक्षण नहीं हो सका और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के उपाय नहीं हो पाए।

सत्ता के दुरुपयोग का आरोप

मानवाधिकार आयोग ने इस पूरे प्रकरण को सत्ता के दुरुपयोग और जनता के भरोसे से खिलवाड़ बताया है। आयोग ने यह भी उल्लेख किया है कि विधायक भूपेंद्र सिंह ने झूठे आरोपों वाले पत्र भेजकर जांच प्रभावित करने की कोशिश की। आयोग ने साफ कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत न करने की दलील असमर्थनीय है।

Dainik Bhaskar

मछली परिवार की कोठी के बगल का मदरसा ध्वस्त हो:राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने मुख्यमंत्री से मांग की

https://www.bhaskar.com/local/mp/bhopal/news/the-madrasa-next-to-the-house-of-the-machli-family-should-be-demolished-135743010.html

भोपाल4 घंटे पहले

ड्रग तस्करी और दुष्कर्म के मामले में आरोपी शाहवर मछली और यासीन के परिवार की अवैध कोठी ढहाए जाने के बाद राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने इसी कोठी के बगल में सरकारी जमीन पर संचालित अवैध मदरसे को भी ढहाने के लिए मुख्यमंत्री से आग्रह किया है।

कानूनगो ने मुख्यमंत्री से कहा है कि ग्रीन बेल्ट की जमीन पर बने इस मदरसे में दूसरे राज्यों से बच्चे लाकर कट्टरवाद की तालीम दी जा रही है। उधर कॉलेज की लड़कियों को ड्रग्स देकर रेप करने व अश्लील वीडियो बनाने के मामले में आयोग की टीम ने एक बार फिर भोपाल में जांच की है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने ड्रग तस्करी व रेप के आरोपी मछली व उसके भतीजे के परिवार की कोठी ढहाए जाने के बाद एक्स पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को ट्वीट कर लिखा है कि पीड़ित हिंदू बेटियों ने आपको सहस्र आशीर्वाद दिए हैं। महाकाल महाराज आपको और अधिक शक्ति प्रदान करें। जो कोठी गिराई गई है, उसके बगल में ग्रीन बेल्ट की सरकारी ज़मीन पर अवैध मदरसा भी बना हुआ है जिसमे दूसरे राज्यों से बच्चे ला कर कट्टरवाद की तालीम दी जाती है, उसका ध्वस्त होना भी बेहद जरूरी है। उधर प्रशासन ने मछली परिवार की दूसरी जमीनों के रिकार्ड जांचने का काम भी शुरू कर दिया है।

एक अन्य ट्वीट में कानूनगो ने 19 अगस्त को यह भी लिखा है कि भोपाल में कॉलेज जाने वाली हिंदू लड़कियों को लक्षित कर ग्रूम करके ड्रग्स दे कर बलात्कार कर अश्लील वीडियो बनाने और ब्लैकमेल कर इस्लाम में धर्मांतरण का दबाव बनाने के आरोप वाले सांप्रदायिक लैंगिक अपराध के प्रकरण में आयोग की अनुशंसाओं पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए दोबारा जांच के लिए आयोग की टीम भोपाल पहुंची। यदि कोई पीड़ित अथवा साक्षी अपने बयान अथवा शिकायत देना चाहें तो निर्भय हो कर संपर्क कर सकते हैं।

Lalluram

भोपाल ड्रग्स मामलाः मछली परिवार की जमीनों की जांच शुरू, कोठी के बगल में बने मदरसे को ध्वस्त करने की मानवाधिकार आयोग सदस्य ने सीएम से की अपील

https://lalluram.com/mp-news-bhopal-drugs-case-investigation-of-machli-familys-lands-begins-human-rights-commission-member-appeals-to-cm-to-demolish-the-madrasa/

Satyanarayan Shukla | 23 Aug 2025, 11:33 AM

मध्यप्रदेश

शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में बहुचर्चित ड्रग्स और हिंदू लड़कियों के यौन शोषण के आरोपी मछली परिवार के अन्य दूसरी जमीनों की जांच शुरू हो गई है। वहीं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग सदस्य प्रियंक कानूनगो ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से मछली परिवार की कोठी के बगल में बने मदरसे को ध्वस्त करने की अपील की है।

सरकारी जमीन पर अवैध मदरसा

मामले को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट भी किया है। लिखा- ग्रीन बेल्ट की सरकारी जमीन पर अवैध मदरसा बनाया गया है। मदरसे में दूसरे राज्यों से बच्चों को लाकर कट्टरवादी तालीम दी जाती है।

यासीन मछली की जमानत खारिज

बता दें कि ड्रग्स मामले के मुख्य आरोपी यासीन मछली की जमानत कोर्ट ने खारिज की है। फैसला विशेष न्यायाधीश NDPS मुकेश मालिक ने सुनाया है। कोर्ट ने कहा – यासीन मछली के फरार होने की आशंका है इसलिए जमानत नहीं मिल सकती है।

मलबे से ईट और टाइल्स बनेंगे

प्रशासन द्वारा मछली परिवार (शारिक) के आलीशान कोठी के मलबे से ईट और टाइल्स बनेंगे। तीन मंजिला कोठी से निकले सीएंडडी वेस्ट का आंकलन किया जा रहा है। पांच हजार वर्ग फिट में अवैध कोठी बनाई गई थी।

The Print

`भाईचारे' वाला रवैया: पुलिस क्रूरता के मामलों में अक्सर वही पुरानी स्क्रिप्ट अपनाई जाती है

मोहाली की एक विशेष अदालत ने इस अगस्त के शुरू में 1993 में स्टेज्ड एनकाउंटर में 7 युवाओं की हिरासत में मौत के मामले में 5 सेवानिवृत्त पंजाब पुलिस कर्मियों को दोषी ठहराया.

https://hindi.theprint.in/feature/brotherhood-attitude-police-brutality-cases-often-follow-the-same-old-script/858473/

अपूर्वा मंधानी | 23 August, 2025 10:00 am IST

नई दिल्ली: 1993 में, पंजाब के अमृतसर के रानी वाला गांव में सात युवकों के 'लावारिस' (अदालती दावा न किए गए) शवों का दाह संस्कार किया गया, जिसने ज्यादा ध्यान नहीं खींचा. इन पुरुषों को पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने की बात कही गई थी और सभी को सिर या सीने में गोली मारी गई थी.

करीब 32 साल बाद, इस महीने की शुरुआत में मोहाली की एक विशेष अदालत ने पांच सेवानिवृत्त पंजाब पुलिस कर्मियों को दोषी ठहराया. उन्हें सात पुरुषों को अवैध रूप से हिरासत में रखने, प्रताड़ित करने और साजिश के तहत एनकाउंटर में मारने का दोषी पाया गया.

ये सात पुरुष रानी वाला के पास के गांवों में हुई सिलसिलेवार हुई कई डकैती में संदिग्ध थे. उस समय पंजाब में उग्रवाद का दौर था. अदालत ने कहा कि पुलिस कर्मियों ने शायद सोचा कि वे पीड़ितों को आतंकवादी बताकर पेश कर सकते हैं और दावा कर सकते हैं कि सात मिलिटेंट एनकाउंटर में मारे गए.

1993 में अदालती दावा न किए गए शवों का दाह संस्कार तब रहस्यमय रहा. तीन साल बाद, 1996 में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने को कहा. 1999 में, छह साल बाद एफआईआर दर्ज की गई.

विशेष अदालत का फैसला हत्या के 32 साल बाद आया। इस बीच, पांच आरोपी की मौत हो चुकी थी और सीबीआई द्वारा प्रारंभ में अदालत में पेश किए जाने वाले 67 गवाहों में से 36 गवाह भी मर चुके थे. हालिया फैसला अब मामले में बचा हुआ हिस्सा है, लेकिन ट्रायल कोर्ट के फैसले आमतौर पर उच्च न्यायालय में चुनौती का सामना करते हैं.

आरोपी पुलिस कर्मियों की उम्र अब 61 से 83 साल के बीच है और वे सेवानिवृत्त हैं। 1993 में भूपिंदरजीत सिंह डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थे और बाद में सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के रूप में रिटायर हुए. उसी वर्ष, देविंदर सिंह और गुलबर्ग सिंह सहायक उप-निरीक्षक थे और बाद में डिप्टी सुपरिंटेंडेंट के रूप में सेवानिवृत्त हुए. सुबा सिंह उस समय इंस्पेक्टर थे और रिटायरमेंट तक वही पद पर बने रहे.

मामले से परिचित एक वकील ने दिप्रिंट को बताया कि आरोपित पुलिस कर्मियों को कभी निलंबित नहीं किया गया.

पुलिस क्रूरता के मामले अक्सर अलग-अलग जगहों पर एक जैसी कहानी दिखाते हैं. अदालत के हस्तक्षेप के बाद ही एफआईआर दर्ज होती है और गंभीर जांच होती है। वर्षों तक कार्रवाई नहीं होती और आरोपी

कर्मी लंबे समय तक बिना सजा के रहते हैं क्योंकि उनके खिलाफ न्यायिक प्रक्रिया ट्रायल, उच्च और सर्वोच्च न्यायालय के बीच घूमती रहती है.

भले ही कुछ मामलों में दोषसिद्धि हो, इसमें सालों लग जाते हैं और यह पीड़ितों के परिवारों के लिए बहुत कम राहत देता है.

वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामकृष्णन ने दिप्रिंट को बताया, "वर्दी के रंग में काम करने वाले अधिकारियों और आम व हमेशा हाशिए पर रहने वाले तबकों के बीच सत्ता के समीकरण में व्यवस्थागत असंतुलन साफ़ दिखाई देता है. वर्दीधारियों द्वारा किया गया यह एक गंभीर अपराध है, लेकिन मुकदमा चलाने का काम नागरिकों के सबसे हाशिए पर रहने वाले तबकों पर छोड़ दिया गया है."

उन्होंने कहा, "जब तक दोषी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा नहीं चलेगा, सिस्टम सुधरेगा नहीं. कभी-कभी किसी को न्याय मिलता है और सजा होती है, लेकिन ऐसे मामले बहुत कम हैं." रामकृष्णन ने 'इन कस्टडी: लॉ इंप्यूनिटी एंड प्रिजनर एब्यूज इन साउथ एशिया' नामक किताब लिखी है.

पुनर्नियुक्तियां

जबकि 1993 के मामले में सजा हुई, पुलिस बर्बरता के मामलों में अभियोजन आम नहीं हैं. भारत में 2011 से 2022 के बीच पुलिस हिरासत में हुई 1,100 से अधिक मौतों में एक भी पुलिस अधिकारी को दोषी नहीं ठहराया गया, यह जानकारी 2025 की स्टेटस ऑफ़ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट में दी गई है. यह रिपोर्ट एनजीओ कॉमन कॉज ने लोकनिति सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ़ डेवलपिंग सोसाइटीज के साथ मिलकर तैयार की थी. अध्ययन का डेटा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो से लिया गया.

2010 से 2020 तक, **नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (NHRC)** के अनुसार न्यायिक या पुलिस हिरासत में कम से कम 17,146 मौतें हुईं, जो औसतन रोज़ाना पांच हिरासत मौतों के बराबर हैं. अधिकांश मामलों में आरोपी पुलिसकर्मी बचे रहे.

तमिलनाडु के अंबासमुद्रम डिविजन में संदेहियों के दांत निकालने और अंडकोष कुचलने के आरोप में फंसे पूर्व सहायक पुलिस अधीक्षक बलवीर सिंह को पहले रिक्ति रिजर्व में रखा गया था. कई विधायकों द्वारा विधानसभा में मामला उठाने के बाद मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मार्च 2023 में उन्हें निलंबित किया.

2024 की शुरुआत में, तमिलनाडु सरकार ने उनका निलंबन रद्द कर दिया, हालांकि उन पर चार आपराधिक मामले लंबित हैं. कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार, बलवीर सिंह अब तक उन मामलों की 24 सुनवाइयों में से केवल 10 में उपस्थित हुए हैं. चारों मामलों की सुनवाई अब उस चरण में है जहां कोर्ट आरोप तय कर रही है.

2018 में केरल के वरापुझा में 26 वर्षीय एसआर श्रीजीत की हिरासत में मौत के मामले में नौ पुलिसकर्मी वर्तमान में एर्नाकुलम की अदालत में मुकदमे का सामना कर रहे हैं. घटना के बाद निलंबित किए गए सभी नौ पुलिसकर्मी, चल रहे मुकदमे के बावजूद, दिसंबर 2018 में पुनः नियुक्त कर दिए गए.

इसी तरह, सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वाझे और तीन पुलिस कॉन्स्टेबल, जिन पर 2002 घाटकोपर बम धमाके के आरोपी ख्वाजा यूनुस की हिरासत में मौत का आरोप है, 2020 में पुनः नियुक्त किए गए। उन्हें

पुनः नियुक्त करने वाली समीक्षा समिति ने पुलिस कर्मियों की कमी का हवाला दिया और बताया कि कई कोविड-19 पॉजिटिव होने के कारण छुट्टी पर थे.

2004 में निलंबित किए गए वाझे और कॉन्स्टेबलों पर तब से आईपीसी की धारा 302 (हत्या) समेत अन्य धाराओं के तहत मुकदमा चल रहा है. उनका हत्या का मुकदमा लंबित है, लेकिन वाझे को उनकी एंटीलिया बम डराने के मामले में कथित संलिप्तता के कारण पुनर्नियुक्ति के एक साल बाद सेवा से हटा दिया गया.

एक शादी और एक गिरफ्तारी

2020 में जब दिल्ली के कुछ हिस्सों में सांप्रदायिक आग फैल रही थी, उस समय एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक लड़का जमीन पर मुड़ा हुआ था और कुछ पुलिसकर्मी उसे अपनी डंडों से पीट रहे थे और राष्ट्रीय गान/वंदे मातरम गाने का आदेश दे रहे थे. उस लड़के का नाम फैजान था, जिसकी उम्र 23 साल थी.

दिसंबर 2020 में दिल्ली हाईकोर्ट में उसकी मां किस्मतन ने एक याचिका दायर की. उन्होंने विशेष जांच टीम (SIT) से जांच कराने की मांग की और आरोप लगाया कि पुलिस ने फैजान और अन्य मुस्लिम युवकों को पीटा और उन्हें रात में गैरकानूनी रूप से हिरासत में लिया, बजाय कि उन्हें विशेष चिकित्सीय देखभाल दी जाती. पुलिस द्वारा फैजान को परिवार को सौंपने के दो दिन बाद, 26 और 27 फरवरी 2020 की रात में उसकी मौत हो गई.

अगले चार साल तक पुलिस यह पता लगाने में असफल रही कि कौन से अधिकारी ने फैजान पर हमला किया. पुलिस ने कोर्ट को बताया कि आरोपी दंगाई वर्दी और हेलमेट पहने हुए थे, जिससे उनकी पहचान नहीं हो सकी और पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी सिस्टम उस रात खराब था.

जुलाई 2024 में फैजान के परिवार को आशा की किरण दिखी. दिल्ली हाई कोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंप दी, यह कहते हुए कि दिल्ली पुलिस ने अब तक जो किया वह “बहुत कम और बहुत देर से” था. कोर्ट ने नोट किया कि आरोपी केवल “कानून के रक्षक” ही नहीं थे, बल्कि वे वही एजेंसी थे जो उनकी जांच कर रही थी. कोर्ट ने जांच को “धीमी, अधूरी और आरोपी को बचाने वाली” बताया.

वर्तमान में, सीबीआई जांच चल रही है, साथ ही दो पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू है, जो दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले से पहले महीनों पहले शुरू की गई थी.

जुलाई 2024 में एक अलग मामले में, पुलिस ने 25 वर्षीय देवा पारधी को उनकी शादी के दिन ‘हल्दी’ की रस्मों के दौरान हिरासत में लिया. उन्होंने देवा और उनके चाचा, गंगाराम पारधी को हथकड़ी लगाई और परिवार को बताया कि वे चोरी के मामले में पूछताछ के लिए हैं.

परिवार के अनुसार, पुलिस ने उन्हें एक पुराने पुलिस स्टेशन ले जाया, जहां सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, और घंटों तक प्रताड़ित किया. उसके बाद देवा पारधी को अस्पताल ले जाया गया, जिसने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस खबर ने विरोध प्रदर्शन भड़का दिए, और देवा की मंगेतर और चाची ने आत्मदाह का प्रयास किया.

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्वतंत्र जांच की याचिका खारिज करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने मामला सीबीआई को सौंप दिया. कोर्ट ने नोट किया कि एफआईआर दर्ज होने के बावजूद कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी. मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट को बताया कि शामिल दो पुलिसकर्मियों को पुलिस लाइंस में स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे वे नियमित फील्ड ड्यूटी से हटा दिए

गए और प्रशासनिक काम सौंपे गए, लेकिन अपराधियों को पकड़ने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए.

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया कि वे एक महीने के भीतर हिरासत में मौत के लिए जिम्मेदार पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार करें. इसके बाद सीबीआई ने एक सब-इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया.

'भाईयों का बंधन'

विशेषज्ञों का कहना है कि पुलिस बर्बरता के अधिकतर मामलों में पीड़ित परिवारों को जांच के लिए अदालतों तक जाना पड़ता है, इसका मुख्य कारण यह है कि जांच एजेंसियां और अधिकारी अक्सर एक-दूसरे के साथ रहते हैं और एक-दूसरे का समर्थन करते हैं. वकील पयोशी रॉय इसे "भाईयों का मजबूत बंधन" बताते हैं.

एफआईआर और मामले के स्वतंत्र जांच एजेंसी को स्थानांतरण के बाद भी, एजेंसियां जानबूझकर और खुलकर कम गंभीर अपराध के लिए चार्जशीट दाखिल करने की कोशिश करती हैं ताकि दिखाया जा सके कि आरोपी अधिकारी हत्या में सक्रिय रूप से शामिल नहीं थे, वह दिप्रिंट से कहती हैं.

वह आगे बताती हैं कि मामले के लंबित रहने के दौरान पुलिस पीड़ित परिवारों पर "भारी दबाव" डाल सकती है.

वह कहती हैं, "गंगाराम पारधी (देवा पारधी के चाचा) को जेल अधिकारियों ने पीटा और आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच की मांग करने वाली याचिका वापस लेने की धमकी दी. यह वह तरह का भाईचारा है, जहां जेल अधिकारी, जो आमतौर पर पुलिस विभाग से जुड़े नहीं होते, मदद करने के लिए तैयार रहते हैं."

रॉय पीड़ित परिवारों और पुलिस अधिकारियों के बीच सत्ता के अंतर को उजागर करती हैं.

"यही कारण है कि परिवार के लिए मामला चलाना इतना मुश्किल हो जाता है... मामले इतने लंबे समय तक चलते हैं कि मुकदमा खुद एक सहनशीलता परीक्षा बन जाता है... यह आर्थिक रूप से थकाने वाला है, और पुलिस अधिकारियों के पास मौजूद वित्तीय और सामाजिक संसाधन और हर आदेश पर अपील करने की शक्ति परिवार को थका देती है," वह आगे कहती हैं.

इसलिए, स्वतंत्र जांच की शुरुआत पीड़ित परिवारों के लिए अक्सर कठिन काम साबित होती है.

समाधान के रूप में, रामकृष्णन पुलिस बर्बरता के मामलों में जांच के लिए "स्वयं-सृजित तंत्र" की मांग करते हैं.

वह समझाती हैं, "पुलिस बर्बरता के मामलों में, पुलिस आमतौर पर अपराध के संदर्भ में लोगों को उठाती है, इसलिए जब यह पुलिस बर्बरता का मामला बनता है, और जज के सामने ऐसे सबूत होते हैं, तो पुलिस के खिलाफ स्वयं-सृजित तंत्र होना चाहिए. इसे पीड़ित या उनके परिवार पर निर्भर नहीं होना चाहिए कि वे इस तंत्र को शुरू करें."

रामकृष्णन जजों पर दोष लगाती हैं कि वे संदिग्ध या हिरासत में लिए गए लोगों की मानसिक और शारीरिक स्थिति पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते.

जजों को हिरासत से रिहाई तक रोजाना कैदियों से जुड़ना चाहिए, लेकिन वे ऐसा नहीं करते, वह कहती हैं, और मानती हैं कि वे "बहुत अधिक काम में व्यस्त" हैं. इसे ध्यान में रखते हुए, वह सुझाव देती हैं कि "हर अदालत में एक टीम युवा छात्रों की हो, जो हिरासत न्याय से संबंधित मामलों को देखें."

रॉय हिरासत में प्रताड़ना या मौत के मामलों की जांच के लिए एक अलग विभाग बनाने का सुझाव देती हैं, जो नियमित पुलिस काम में शामिल न हो.

वह कहती हैं, "यह शायद उस विभाग के अधिकारियों और अन्य पुलिस अधिकारियों के बीच बातचीत और भाईचारे को कम कर देगा."

न्यायिक भूलभुलैया

एक बार जब अदालत पुलिस बर्बरता के मामलों में जांच का निर्देश देती है, तो ये मामले अक्सर जटिल न्यायिक भूल-भुलैया में फंस जाते हैं, और ट्रायल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच घूमते रहते हैं.

उदाहरण के लिए, अग्नेलो वाल्डारिस को लें. वाल्डारिस की उम्र 25 साल थी जब अप्रैल 2014 में मुंबई के वडाला रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के पहियों के नीचे आ गया. उसकी मौत से दो दिन पहले, वाल्डारिस और तीन अन्य, जिनमें एक नाबालिग लड़का भी था, को डकैती के मामले में वडाला जीआरपी या गवर्नमेंट रेलवे पुलिस ने हिरासत में लिया. पुलिस का दावा था कि वाल्डारिस को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ले जाते समय वह भाग गया और ट्रेन के सामने कूद गया.

हालांकि, उसके पिता, लियोनार्ड वाल्डारिस को कुछ गलत लगा. जून 2014 में उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया और दावा किया कि उनका बेटा हिरासत में पुलिस की प्रताड़ना, यौन उत्पीड़न और हमला झेलने के बाद मरा. लियोनार्ड वाल्डारिस ने CBI जांच की मांग की.

बॉम्बे हाई कोर्ट ने जून 2014 में जांच को CBI को ट्रांसफर कर दिया, यह नोट करते हुए कि स्थानीय पुलिस द्वारा जांच की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर न्यायाधीशों में "गंभीर संदेह" है. हालांकि, दिसंबर 2015 में दाखिल सीबीआई चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) का जिक्र नहीं किया गया. हत्या के आरोप लगाने के सवाल ने याचिकाकर्ताओं और आरोपियों को बॉम्बे हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय के बीच जाने पर मजबूर किया.

इस मामले में आठ पुलिसकर्मी आरोपी हैं. सभी को ट्रांसफर किया गया था लेकिन मामले के लंबित रहने तक वे पुलिस में ही काम करते रहे, एक वकील ने दिप्रिंट को बताया. हाई कोर्ट अब भी यह विचार कर रही है कि उन्हें हत्या के आरोप में ट्रायल किया जाए या नहीं.

एक 2019 के पुलिस एनकाउंटर का मामला है, जिसमें हैदराबाद में 26 वर्षीय पशु चिकित्सा डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या का शक वाले चार पुरुषों को पुलिस ने मारा. यह मामला वर्तमान में तेलंगाना हाई कोर्ट में लंबित है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व चीफ जस्टिस वी.एस. सिरपुरकर की अध्यक्षता में एक जांच आयोग गठित किया. आयोग ने जनवरी 2022 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें पाया गया कि आरोपी पुलिसकर्मियों पर "जानबूझकर उनकी हत्या करने की नीयत से गोली चलाई गई", जबकि पुलिस ने पहले कहा था कि आरोपी पुलिस की बंदूकें छीनने की कोशिश कर रहे थे.

आयोग ने कहा कि तीन पुलिसकर्मियों को हत्या के ट्रायल का सामना करना चाहिए. इसके अलावा, सभी दस पुलिसकर्मियों को IPC की धारा 302 r/w 34 (जहां कई लोग एक सामान्य नीयत के तहत हत्या के लिए काम करते हैं), 201 r/w 302 (हत्या में सबूतों की गुमशुदगी और हत्या का आरोप) और 34 (साझा नीयत के तहत कई लोगों के कार्य) के तहत ट्रायल का सामना करना चाहिए क्योंकि उन्होंने हिरासत में चार पुरुषों की हत्या की नीयत से कार्य किए.

हालांकि, पिछले साल मई में, तेलंगाना हाई कोर्ट ने आरोपियों की याचिकाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए सिरपुरकर आयोग की रिपोर्ट पर रोक लगा दी.

दशकों लंबा इंतजार

पुलिस बर्बरता के मामलों में, जहां सजा मिलती है, वहां राहत आमतौर पर घटना के दशकों बाद मिलती है. जबकि रानी वल्लाह गांव के 1993 के मामले में ट्रायल कोर्ट का फैसला 32 साल बाद आया, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 1991 के स्टेज्ड एनकाउंटर में 43 प्रांतीय सशस्त्र कंस्टेबुलरी (PAC) कर्मियों को आजीवन कारावास की सजा देने वाला निर्णय 25 साल बाद 2016 में आया.

12 जुलाई 1991 को पुलिस ने कचलापुल घाट पर पीलीभीत जाने वाली एक बस को रोका, 11 सिख पुरुषों को बस से उतारा और अगले दिन तीन अलग-अलग नकली एनकाउंटर में उन्हें मार दिया. अन्य पुलिस बर्बरता के मामलों की तरह, पीलीभीत पुलिस ने शुरू में मामले में क्लोजर रिपोर्ट दायर की, और सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा और जांच CBI को सौंप दी गई.

शुरुआत में, ट्रायल कोर्ट ने 2016 में 47 पुलिसकर्मियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. हालांकि, दिसंबर 2022 में, इलाहाबाद हाई कोर्ट-लखनऊ बेंच ने सजा को सात साल के कठोर कारावास में बदल दिया. ट्रायल कोर्ट में मामले के लंबित रहने के दौरान 57 आरोपियों में से 10 की मौत हो गई, और चार की उनकी अपीलों की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट में मौत हुई.

रॉय बताती हैं कि अक्सर इन मामलों में पीड़ितों के परिवार गरीब पृष्ठभूमि के होते हैं और उन्हें लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है.

उन्होंने दिप्रिंट से कहा, “आरोपी पुलिस अधिकारी मुकदमे को लंबा खींच सकते हैं. उनके लिए यह करना बहुत आसान और सुविधाजनक होता है. वे मुकदमे में लगने वाले समय का इस्तेमाल परिवार को धमकाने या अच्छा पैसा देकर केस वापस लेने के लिए कर सकते हैं.”

हालांकि, हिरासत में मौतों के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश और कानून पहले से मौजूद हैं, रॉय राजनीतिक कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों से अधिक प्रयास की मांग करती हैं, ताकि न केवल सजा की कठोरता बल्कि जांच और बाद की सजा की निश्चितता से निवारक मूल्य पैदा हो.

वह कहती हैं, “यहां दंडहीनता की संस्कृति है और आरोपी पुलिस अधिकारियों को आश्वासन है, लेकिन अगर हिरासत में मौतों की निष्पक्ष और सही जांच सुनिश्चित करने के लिए अधिक राजनीतिक इच्छा शक्ति हो और निष्पक्ष ट्रायल सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक जोर दिया जाए, तो मुकदमे में लगने वाला समय कम हो जाएगा, जिससे प्रणाली की प्रभावकारिता बढ़ेगी. यह अपने आप में कुछ हद तक, अगर पूरी तरह नहीं, तो कहानी बदलने में मदद करेगा.”

News Aroma

झारखंड हाईकोर्ट का सख्त रुख!, 2018-2021 में हिरासत में हुई 166 मौतों का ब्योरा तलब

https://www.newsaroma.com/jharkhand-news-jharkhand-high-court-takes-a-tough-stand-summoned-details-of-166-custodial-deaths-in-2018-2021/

झारखंड | Published on August 23, 2025 By Digital Desk

Jharkhand High Court takes a tough stand!: झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने राज्य में 2018 से 2021 के बीच जेल या न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में हुई मौतों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ (Division Bench) ने गृह सचिव को शपथपत्र (Affidavit) दाखिल कर इन मौतों का विस्तृत ब्योरा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने यह भी पूछा है कि क्या इन मौतों को मजिस्ट्रेट के संज्ञान में लाया गया था, ताकि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) और भारतीय न्याय संहिता (BNSS) की धाराओं के तहत उनकी जांच की जा सके। मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर 2025 को होगी।

जनहित याचिका से उठा मुद्दा

यह मामला मो. मुमताज अंसारी की ओर से दायर जनहित याचिका (Public Interest Litigation – PIL) के आधार पर सामने आया है। याचिका में 2018 से 2021 के बीच जेल और पुलिस हिरासत (Police Custody) में हुई मौतों की न्यायिक जांच (Judicial Inquiry) कराने की मांग की गई है।

याचिकाकर्ता ने झारखंड विधानसभा के 2022 बजट सत्र में दिए गए एक सरकारी जवाब का हवाला दिया, जिसमें बताया गया था कि इस अवधि में राज्य में 166 हिरासत में मौतें हुईं, जिनमें 156 न्यायिक हिरासत और 10 पुलिस हिरासत में थीं। याचिकाकर्ता ने इतनी बड़ी संख्या में मौतों पर चिंता जताते हुए स्वतंत्र जांच की मांग की।

कोर्ट का निर्देश

खंडपीठ ने गृह सचिव को निर्देश दिया कि वे व्यक्तिगत रूप से शपथपत्र दाखिल कर इन मौतों का वर्षवार और जिलावार विवरण दें। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रत्येक मामले में यह जांचा जाए कि क्या मृत्यु की सूचना मजिस्ट्रेट को दी गई थी, जैसा कि CrPC की धारा 176(1) और BNSS के प्रावधानों में अनिवार्य है।

कोर्ट ने कहा कि हिरासत में मौतें मानवाधिकार उल्लंघन (Human Rights Violation) का गंभीर मामला हैं, और इनकी पारदर्शी जांच (Transparent Investigation) जरूरी है।

ये भी समझें

रिपोर्ट्स के अनुसार, 2018-19 में 67, 2019-20 में 45, और 2020-21 में 54 हिरासत में मौतें दर्ज की गईं। इनमें से अधिकांश मामले दलित, आदिवासी, और मुस्लिम समुदायों (Marginalized Communities) से जुड़े थे, जो हिरासत में होने वाली हिंसा और उपेक्षा के प्रति असमान प्रभाव को दर्शाता है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने भी हिरासत में होने वाली मौतों को गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन माना है। कोर्ट का यह कदम झारखंड में पुलिस और जेल प्रशासन में जवाबदेही (Accountability) बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।